

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

कर्मोंक 478/196/आउशि/छात्रवृत्ति/2021

भोपाल दिनांक 14 / 07 / 2021

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषय:- संस्थाओं के भौतिक सत्यापन के संबंध में।


- संदर्भ:-1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 232/196/आउशि/छा/2021 दिनांक 10.3.2021
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 340/196/आउशि/छा/2021 दिनांक 01.04.2021

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र-1 के द्वारा आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जिलावार संस्थाओं/महाविद्यालयों की साफ्ट कॉपी (एक्सेल फाइल) संलग्न करते हुए आपसे संस्थाओं के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2021 तक उपलब्ध कराने का उल्लेख किया था। समय पर जानकारी प्राप्त न होने के कारण संदर्भित पत्र-2 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया कर दिनांक 05.04.2021 तक छात्रवृत्ति शाखा की ईमेल आई डी heschlor@mp.gov.in पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। किन्तु अफसोस के साथ लिखना पड रहा है कि आज दिनांक तक भी किसी भी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के द्वारा उक्त सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है, जो उचित नहीं है। वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों का समय सीमा में पालन न करना कदाचरण की श्रेणी में आता है।

आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि चाही गई जानकारी दिनांक 31.07.2021 तक निम्नलिखित प्रारूप में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति शाखा की ईमेल आई डी heschlor@mp.gov.in पर उपलब्ध कराये। समय सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

क्र	संभाग/ जिले का नाम	संलग्न फाइल के अनुसार में संचालित संस्था/ महाविद्या लय के नाम	एक्सेल के वर्तमान संचालित	संलग्न एक्सेल फाइल के अनुसार वर्तमान में बंद/निष्क्रिय महाविद्यालय/संस्था का नाम	उक्त महाविद्यालयों में विगत 03 वर्षों में लाभांशित छात्राओं की संख्या।			संलग्न एक्सेल फाइल के अनुसार ऐसी संस्था / महाविद्यालय के नाम जिनमें आज दिनांक तक गाँव की बेटी/प्रतिभा किरण योजनाओं में प्रकरण पंजीकृत नहीं हुए हैं।	रिमांक
					गाँव की बेटी	प्रतिभा किरण			


(चन्द्रशेखर वारिशे)


अपर आयुक्त/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ० कर्मोंक 479/196/आउशि/छात्रवृत्ति/2021

भोपाल दिनांक 14 / 07 / 2021

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।


अपर आयुक्त/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश